रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2076] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 26, 2017/श्रावण 4, 1939
No. 2076] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 26, 2017/ SRAVANA 4, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 2017

का.आ. 2342(अ).—यत:, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त "अधिनियम" संदर्भित किया गया है) की धारा 11 के अधीन जारी की गई जल भूतल परिवहन मंत्रालय (सड़क स्कंध) की अधिसूचना संख्या 393(अ), तारीख 12 मई, 1998 और सड़क परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 1097(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के 27.800 कि.मी. से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चैन्नई बाइपास चरण—I) के 13.800 कि.मी. पर मिलते हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 13.800 कि.मी. से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चैन्नई बाइपास) के 12.600 कि.मी. पर मिलते हुए खण्ड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है,

और यत:, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्गों के खण्डों, स्थायी पुलों, बाइपासों और सुरंगों के उपयोग के लिए शुल्क के संग्रहण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सा.का.नि. 838(अ), तारीख 5 दिसम्बर 2008 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 बनाए हैं और उनमें सा.का.नि. 950(अ), तारीख 3 दिसम्बर, 2010, सा.का.नि. 15(अ), तारीख 12 जनवरी, 2011, सा.का.नि. 756(अ), तारीख 12 अक्तूबर, 2011, सा.का.नि. 778(अ), तारीख 16 दिसम्बर, 2013, सा.का.नि. 26(अ), तारीख 16 जनवरी, 2014, सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21 नवम्बर, 2014, सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23 मार्च, 2015 और सा.का.नि. 585(अ), तारीख 8 जून, 2016, सा.का.नि. 1114(अ), तारीख 02 दिसम्बर, 2016 और सा.का.नि. 248(अ), तारीख 14 मार्च, 2017 द्वारा संशोधन किए गए हैं,

और यत:, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, प्राधिकरण ने मैसर्स एमईपी चैन्नई बाइपास टोल रोड़ प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 410, बूमरैंग, चांदीवली फार्म रोड़, चांदीवली स्टूडियो के निकट, अंधेरी ईस्ट, मुंबई,— 400072 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है) के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के 29.151 कि.मी. से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चैन्नई बाइपास चरण—I) के 13.800 कि.मी. पर मिलते हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 13.800 कि.मी. से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चैन्नई बाइपास चरण—II) (नया चैनेज 0.000 कि.मी. से 32.600 कि.मी., चैन्नई बाइपास रारा—4 और 45) के 12.600 कि.मी. पर मिलते हुए, खण्डों के प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओ.एम.टी.) आधार पर प्रचालन और अनुरक्षण हेतु करार किया है।

और यत: केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 484(अ), तारीख 27.02.2013 द्वारा रियायतग्राही मैसर्स एमईपी चैन्नई बाइपास टोल रोड़ प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से करार में यथा विनिर्दिष्ट समापन तारीख तक तमिलनाडु राज्य में ओ.एम.टी. आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 45 के 29.151 कि.मी. पर पर शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 (चैन्नई बाइपास चरण—I) के 13.800 कि.मी. पर मिलते हुए और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 के 13.800 कि.मी. से शुरू होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 (चैन्नई बाइपास चरण—II) के 12.600 कि.मी. पर मिलते हुए, खण्डों के उपयोग हेतु यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत किया है। ओ.एम.टी रियायतग्राही ने प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण का कार्य 14.05.2013 को वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से प्रारंभ किया।

और यत:, भाराराप्रा ने ओएमटी रियायतग्राही से 09.04.2016 से प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण का कार्य अपने हाथ में ले लिया है। भाराराप्रा और रियायतग्राही ने ओएमटी रियायत करार के अधीन माध्यस्थतम चाहा है और ओएमटी करार का अभी पूर्व समापन किया जाना है। भाराराप्रा रियायत करार/तारीख 27.02.2013 की शुल्क अधिसूचना के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण का कार्य जारी रखे हुए है। तथापि, इस शुल्क अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् भाराराप्रा इस शुल्क अधिसूचना के प्रावधानों के अधीन प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण करेगा।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, समय—समय पर संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्या का.आ. 484(अ), दिनांक 27.02.2013 का अधिक्रमण करते हुए सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पहले कर ली गई हैं अथवा करने से लोप करा दी गई है, एतद्द्वारा सड़क की कुल समकक्ष लंबाई शून्य कि.मी. के चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए सारिणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''आधार दर'' संदर्भित किया गया है) और बाइपासों जिनकी कुल लंबाई 28.290 कि.मी. [4.310 कि.मी. (0.825 कि.मी. + 3.485 कि.मी.) की संरचनाओं को छोड़कर **(जिनकी लंबाई** 60 मीटर से अधिक है) और जिनकी समकक्ष लंबाई 43.100 कि.मी. [8.250 कि.मी. + 34.850 कि.मी.) है और प्रत्येक बाइपास की लागत दस करोड़ रुपए या अधिक है, के उपयोग के लिए नीचे सारिणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना की दर पर शुल्क उद्ग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:—

सारणी 1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (भा.सं.म.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (अ.मू.उ.) या बहुधुरीय वाहन (ब.धु.वा.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्गृहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर ऐसे प्रत्येक टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (डिजायन चैनेज)	**दर जिस पर शुल्क संदेय है**
तिरूवल्लूर जिला चैन्नई बाइपास चरण—I में वनग्राम गांव के निकट 16.500 कि.मी.	शून्य
तिरूवल्लूर जिला चैन्नई बाइपास चरण—II में सुरापट्टू गांव के निकट 28.600 कि.मी.	शून्य

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, 10 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले निम्नलिखित बाइपास (बाइपासों) के उपयोग के लिए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लंबाई हेतु ऊपर सारणी 1 में उल्लिखित आधार दर की डेढ़ गुना की दर पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजाओं का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
तिरूवल्लूर जिला चैन्नई बाइपास चरण—I में वनग्राम गांव के निकट 16.500 कि.मी.	18.375* (नीचे पैरा—3 में दर्शायी गई 825.000 मीटर की संरचानाओं की लंबाई को छोड़कर)	ऊपर सारणी—1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
तिरूवल्लूर जिला चैन्नई बाइपास चरण—II में सुरापट्टू गांव के निकट 28.600 कि.मी.	9.915* (नीचे पैरा—3 में दर्शायी गई 3485.00 मीटर की संरचानाओं की लंबाई को छोड़कर)	ऊपर सारणी—1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लंबाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लंबाई (कि०मी० में)	सड़क की समकक्ष लंबाई (कि०मी० में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
जिला तिरूवल्लूर चैन्नई बाइपास चरण—I में वनग्राम गांव के निकट 16.500 कि.मी.	0.825	8.250	ऊपर सारणी—1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
जिला तिरूवल्लूर चैन्नई बाइपास चरण—II में सुरापट्टू गांव के निकट 28.600 कि.मी.	3.485	34.850	ऊपर सारणी—1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

* विवरण निम्नानुसार है:

16.500 कि.मी. पर वनग्राम टोल प्लाजा

क्रम संख्या	चैनेज		लंबाई (मी)	कुल लम्बाई (कि.मी. में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	9.000	9.210	210.000	पुल
3	15.370	15.835	465.000	पुल
4	19.050	19.200	150.000	ग्रेड सेपरेटर
			825.000	

28.600 कि.मी. पर सुरापट्टू टोल प्लाजा

क्रम संख्या	चैनेज		लंबाई (मी)	कुल लम्बाई (कि.मी. में)
	कि.मी. से	कि.मी. तक		
1	19.200	19.630	430.000	ग्रेड सेपरेटर
2	22.085	25.140	3055.000	
			3485.000	

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन गैर—वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2017-18 के लिए मासिक पास की दर 245.00 रुपये (दो सौ पैंतालीस रुपये मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किए जाएगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय धनराशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो—तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित दर का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को ऐसे श्रेणी के यांत्रिक वाहनों के लिए लागू शुल्क के दस गुना के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट—प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

10. ऊपर सारणी—1 में यथा—उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और छूट की गणना खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर प्राधिकरण द्वारा की जायेगी और उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम—से—कम एक—एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. 31.03.2016 के अनुसार परियोजना की पूंजीगत लागत का वर्तमान मूल्य 867.27 करोड़ रुपए (आठ सौ सड़सठ करोड़ सत्ताईस लाख रुपए मात्र) है और 31.03.2016 के अनुसार कुल पूंजीगत लागत 958.95 करोड़ रुपए (नौ सौ अठ्ठावन करोड़ पिच्यानवे लाख रुपए मात्र) है। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात् लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[भाराराप्रा/13013/740 /सीओ/12-13/जीसी चैन्नई बाइपास चरण — I और II]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th July, 2017

S.O. 2342(E).—Whereas, vide notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Road Wing) number S.O. 393(E) dated the 12th May,1998 and Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1097(E), dated the 4th August, 2005, issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government entrusted the stretch taking off from km 27.800 of NH-45 and joining at km 13.800 of NH-4 (Chennai Bypass Phase-I) and taking off from km 13.800 of NH-4 and joining at km 12.600 of NH-5 (Chennai Bypass) in the State of Tamil Nadu to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) has framed the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, vide G.S.R. 838(E) dated the 5th Dec, 2008, and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R. 15(E) dated 12th January, 2011, G.S.R 756(E) dated 12th October, 2011 and G.S.R. 778(E) dated 16th December,2013, G.S.R. 26(E) dated 16th January, 2014, G.S.R 831(E) dated 21st November, 2014, G.S.R 220(E) dated 23rd March, 2015, G.S.R. 585(E) dated 08th June, 2016 and G.S.R. 1114(E) dated 2nd December, 2016 and G.S.R. 248(E) dated 14th March, 2017 for collection of fee for use of sections of national highways, permanent bridges, bypasses and tunnels;

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement with M/s MEP Chennai Bypass Toll Road Private Limited, having its registered office at 410 Boomerang, Chandivali Farm Road, Near Chandivali Studio, Andheri East, Mumbai–400072, Maharashtra (hereinafter referred to as the “Concessionaire”) for operation and maintain of the sections taking off at kilometer 29.151 of National Highway No. 45 and merging at kilometer 13.800 of National Highway No 4 (Chennai Bypass Phase I) and taking off at kilometer 13.800 of National Highway No 4 and merging at kilometer 12.600 of National Highway No. 5 (Chennai Bypass Phase II) (new chainage Km. 0.000 to Km. 32.600, Chennai Bypass NH- 4 & 45) (hereinafter referred to as the “said section”) on Operate, Maintain and Transfer (OMT) basis.

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India vide S.O. No. 484 (E) dated 27.02.2013 authorized the Concessionaire M/s MEP Chennai Bypass Toll Road Private Limited, Mumbai, for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of the stretch taking off at kilometer 29.151 of National Highway No 45 and merging at kilometer 13.800 of National Highway No 4 (Chennai Bypass Phase I) and taking off at kilometer 13.800 of National Highway No 4 and merging at kilometer 12.600 of National Highway No 5 (Chennai Bypass Phase II) in the State of Tamil Nadu on OMT basis on and from the Date of Commercial Operation declared by the Authority and till the termination date as specified in the Agreement. OMT Concessionaire started user fee collection from COD on 14.05.2013.

And whereas, the user fee collection has been taken over by NHAI from OMT Concessionaire w.e.f. 09.04.2016. NHAI and Concessionaire have invoked Arbitration under OMT concession agreement and OMT agreement is yet to be foreclosure / terminated. NHAI is continuing the user fee collection as per provisions in Concession Agreement/Fee Notification dated 27.02.2013. However, after publication of this fee notification, NHAI shall collect user fee as per provisions under this fee notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 and amended from time to time (hereinafter referred to as the “said Rules”), and in supersession of the notification number S.O. 484 (E) dated 27.02.2013, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby levies the fee at the base rate specified in column (2) of the Table 1 for total equivalent road length of Nil km for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as “base rate”) and at one and one half times the base rate for bypasses having an aggregate length of 28.290 km [excluding 4.310 km (0.825 km + 3.485 km) of structures (having length more than 60m) with equivalent length of 43.100 km (8.250 km + 34.850 km)] costing each Bypass Rupees Ten Crore or more on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

TABLE 1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three – axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to si\x axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for each such Toll Plaza:

Location of Toll Plazas (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km 16.500, near village Vanagaram in Tiruvallur District Chennai Bypass Phase I	Nil
Km 28.600, near village Surapattu in Tiruvallur District Chennai Bypass Phase II	Nil

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) costing more than Rs. 10 crores at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table-1 above for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plazas (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
Km 16.500, near village Vanagaram in Tiruvallur District Chennai Bypass Phase I	18.375***** (Excluding 825.00 m length of structures indicated in Para-3 below)	150% of base rates mentioned in Table-1 above
Km 28.600, near village Surapattu in Tiruvallur District Chennai Bypass Phase II	9.915***** (Excluding 3485.00 m length of structures indicated in Para-3 below)	150% of base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Toll Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Toll Plaza (chainage)	**Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which fee is payable**
Km 16.500, near village Vanagaram in Tiruvallur District Chennai Bypass Phase I	0.825	8.250	100% of base rates mentioned in Table-1 above
Km 28.600, near village Surapattu in Tiruvallur District Chennai Bypass Phase II	3.485	34.850	100% of base rates mentioned in Table-1 above

* The details are as under:—

<u>Vanagarm Toll Plaza at km 16.500</u>

	Chainage		**Length (m)**	**Type of Structure**
	From Km	**To Km**		
1	9.000	9.210	210.000	Bridge
2	15.370	15.835	465.000	Bridge
3	19.050	19.200	150.000	Grade Separator
			825.000	

<u>Surapattu Toll Plaza at km 28.600</u>

	Chainage		**Length (m)**	**Type of Structure**
	From Km	**To Km**		
1	19.200	19.630	430.000	Grade Separator
2	22.085	25.140	3055.000	Elevated Corridor including ROB
			3485.000	

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non- commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs.245.00 (Rupees two hundred forty-five only) for the year 2017-18, and is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicle.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the toll collecting agency, equal to ten times of the fee applicable to such category of mechanical vehicle and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said Rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with Rule 12 of the said Rules.

10. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the sections and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, each in English and vernacular language accordingly.

11. The present value of Capital Cost of the Project as on 31.03.2016 is Rs. 867.27 Crore (Rupee Eight Hundred Sixty Seven Crore Twenty Seven Lakh only) & Total capital cost as on 31.03.2013 is Rs. 958.95 Crore (Rupee Nine Hundred Fifty Eight Crore Ninety Five Lakh only). The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[No. NHAI/13013/740/CO/12-13/GC-Chennai Bypass Phase-I & II]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.07.28 15:19:16 +05'30'